(17)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भू.रा./2017/2009 विरूद्ध आदेश दिनांक 10–5–2017 पारित द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल, प्रकरण क्रमांक 57/अ–12/2016–17.

मेसर्स शुभ एस्टेटस द्वारा पार्टनर
श्री रोशन चावला आत्मज श्री रामूलाल चावला
कार्यालय जी, 10 आकांक्षा काम्प्लेक्स
ग्राउण्ड फलोर जोन–1 एमपी नगर
भोपाल

..... आवेदक

विरूद्ध

1–आकांक्षा गृह निर्माण सहकारी समिति मर्यादित भोपाल
द्वारा अध्यक्ष री आर0के0 ललवानी
आत्मज श्री के0सी0ललवानी
निवासी 4/4 बिन्डसर हिल्स चूना भटटी कोलार रोड
भोपाल
2–मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर जिला भोपाल

..... अनावेदकगण

.....

श्री डी0डी0मेघानी, अभिभाषक, आवेदक
श्री एम0एल0रघुवंशी, अभिभाषक, अनावेदक कमांक 1

.....

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 2/11/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदक द्वारा राजस्व निरीक्षक वृत्त–3, तहसील हुजूर जिला भोपाल द्वारा पारित आदेश दिनांक 10–5–2017 के विरूद्ध मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2– प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा राजस्व निरीक्षक के समक्ष उनके स्वत्व स्वामित्व की भूमि ग्राम बैरागढ चीचली स्थित सर्वे नम्बर 372/2 रकबा 0.230 के सीमांकन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । तहसीलदार द्वारा प्रकरण कमांक 57/अ–12/16–17 दर्ज कर प्रश्नाधीन भूमि का राजस्व निरीक्षक से सीमांकन कराया जाकर दिनांक 10–5–17 को सीमांकन आदेश पारित किया गया । राजस्व निरीक्षक के इसी सीमांकन आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3– आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा प्रश्नाधीन भूमि के सीमांकन हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र पर कोर्टफीस नहीं लगाई गई है और ना ही खसरे की प्रमाणित प्रतिलिपि आवेदन के साथ संलग्न की गई है ऐसी स्थिति में राजस्व निरीक्षक को सीमांकन नहीं कर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने के निर्देश देना चाहिये थे, परन्तु उनके द्वारा सीमांकन कार्यवाही कर आदेश पारित करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा संहिता की धारा 129 के नियम 3(ग) के अनुसरण में सीमांकन की जाने वाली भूमि से लगे सर्वे नम्बरों व भूखण्डों का विवरण नहीं दिया गया है । यह भी कहा गया कि अनावेदक कमांक 1 द्वारा वास्तविक व्यक्ति को बिना पक्षकार बनाये आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था जो कि पक्षकार के कुसंयोजन के कारण इसी आधार पर निरस्त किये जाने योग्य था। यह भी तर्क प्रस्तुत किया गया कि दिनांक 9–5–17 को किये सीमांकन एवं पारित आदेश दिनांक 10–5–17 के अनुसरण में आवेदक की भूमि पर बनी पक्की वाउंड्रीवाल जेसीबी मशीन से तोड़ी गई है इसलिये सीमांकन कार्यवाही में आवेदक आवश्यक पक्षकार था, इसके बावजूद उसे सूचना दिये वगैर सीमांकन कार्यवाही करने में अवैधानिकता की गई है । यह भी कहा गया कि सीमांकन कार्यवाही में पड़ोसी कृषकों को सूचना नहीं दी गई है और

स्थायी सीमाचिन्हों से सीमांकन नहीं किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि सीमांकन पंचनामा पर मौके पर उपस्थित व्यक्तियों के हस्ताक्षर नहीं है ।

तर्क के समर्थन में 1998 आरएन 106, 2014 आरएन 69, 2006 आरएन 218, 1996 आरएन 357 एवं 2014 आरएन 259 के न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4– अनावेदक कमांक 1 के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् समस्त हितबद्ध पक्षकारों को सूचना दी जाकर संहिता की धारा 129 के प्रावधानों के अन्तर्गत सीमांकन किया जाकर सीमांकन आदेश पारित किया गया है जिसमें किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता परिलक्षित नहीं होती है । यह भी कहा गया कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत स्थायी सीमाचिन्हों से प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदक तकनीकी आधार पर सीमांकन की कार्यवाही को त्रुटिपूर्ण दर्शाने का प्रयास कर रहा है जबकि राजस्व निरीक्षक द्वारा नियमानुसार प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है ।

5– प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । सीमांकन प्रकरण को देखने से स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा विधिवत् हितबद्ध पक्षकारों को सूचना नहीं दी जाकर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन किया गया है । सीमांकन पंचनामे के साथ जो फील्डबुक संलग्न की गई है, उससे भी यह स्पष्ट नहीं होता है कि प्रश्नाधीन भूमि के किस भाग पर किस का अवैध कब्जा है । प्रकरण में सीमांकन प्रतिवेदन भी संलग्न नहीं है, स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन पूर्णतः अवैधानिक एवं अनुचित है । अतः राजस्व निरीक्षक द्वारा किया गया सीमांकन एवं पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है । इस प्रकरण में यह विधिक आवश्यकता है कि प्रकरण कलेक्टर को इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाये

कि वे अधीक्षक भू–अभिलेख के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन करायें और यदि आवश्यक हो तो पुलिस बल का सहयोग लिया जाये ।

6– उपरोक्त विवेचना के आधार पर राजस्व निरीक्षक द्वारा पारित सीमांकन आदेश दिनांक 10–05–2017 निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया जाता है कि अधीक्षक भू–अभिलेख के नेतृत्व में सीमांकन दल गठित कर प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन दो माह के भीतर कराया जाये और यदि आवश्यक हो तो पुलिस बल का सहयोग लिया जाये ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर.